न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/122

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. श्रवणलाल पुत्र मिश्रीलाल 2. पोकरराम पुत्र रताराम 3. मीरा देवी पुत्री मिश्रीलाल 4. लीला देवी पुत्री मिश्रीलाल 5. गवरी उर्फ सायरी पुत्री मिश्रीलाल जातिगण बावरी निवासीगण धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली 6. इन्द्रा देवी पुत्री नेमाराम जाति बावरी निवासी धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली		1. ग्राम पंचायत धाकड़ी जरिये सरपंच तहसील सोजत जिला पाली 2. शान्ति देवी पत्नी मृतक नेमाराम बालिग जाति बावरी निवासी ग्राम मण्डिया तहसील व जिला पाली 3. भंवरलाल पुत्र ढगलाराम जाति सिरवी निवासी ग्राम धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली 4. मुकेश चौकीदार पुत्र पारसराम जाति बावरी निवासी ग्राम धीनावास मार्ग, सोजत सिटी जिला पाली 5. उपपंजीयन कार्यालय तहसील सोजत जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एम.ए.खान।
2. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 187/2021–2022, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11.10.2021 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 शान्तिदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 14.10.2021 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस नगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का ग्राम धाकड़ी में रहवासीय मकान आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का उनके दादा मदरूपजी के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण के सभी दस्तावेज भी इसी गांव के है, जिसमें इसी मकान का पता दर्ज है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी जांच व आधार के उक्त भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये,

अति. जिला कलेक्टर पाली

बिना कोई नक्शा बनाये, बिना कोई पंचों की कमेटी गठित किए, बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में 266.66 वर्गगज का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि नियम 158 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति–जन जाति को 150 वर्गगज से अधिक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम मण्डिया की निवासी है तथा उसके पति नेमाराम भी कई वर्षों से मण्डिया में ही निवासरत है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के समस्त दस्तावेज यथा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पति नेमाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन कार्ड में पत्ता ग्राम मण्डिया रूपनाथ की ढाणी वार्ड 16 तहसील पाली जिला पाली है। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पति का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा। प्रार्थीगण द्वारा अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु दो–तीन बार ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों से परे जाकर प्रार्थीगण की कब्जेसुदा मकान का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी संख्या 2 शान्ति देवी के पति नेमाराम पुत्र उकारराम के मालिकाना हक की है। नेमाराम के पूर्वज मदरूबा की सम्पत्ति में से उक्त सम्पत्ति नेमाराम के हिस्से में तथा अन्य सम्पत्ति मिश्रीलाल के हिस्से में आई एवं मिश्रीलाल के पुत्र प्रार्थी श्रवणराम ने इन्द्रा आवास योजना के तहत अपने हिस्से में आई भूमि पर मकान का निर्माण करवाया। अप्रार्थी ने केवल अपने हिस्से में आई भूमि जिस पर पुराना मकान का निर्माण किया हुआ था, का ही प्रश्नगत पट्टा जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 तथा उसके पति नेमाराम ग्राम धाकड़ी में ही निवास करते थे जो कि निर्वाचन नामावली वर्ष 1994 एवं राशन कार्ड से साबित है। अप्रार्थी खाने कमाने के उद्देश्य से बाहर गये थे इस दौरान उस जगह के दस्तावेज उनके द्वारा तैयार करवा लिये गये थे जबकि वे मूल रूप से ग्राम धाकडी के निवासी है। प्रश्नगत पट्टा रजिस्टर्ड है जिसका बेचान अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किया गया। प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विधिनुसार आवेदन पेश किया गया, जिसमें निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् पंचायत द्वारा नक्शा बनाया गया और तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण करने के बाद में आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल संख्या 187/2021–2022, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11.10.2021 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 शान्तिदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 14.10.2021 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे की है तथा ग्राम पंचायत ने उसी भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य के सम्बन्ध में उभयपक्ष की यह स्वीकृति है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है जो कि पूर्वजों से उन्हें प्राप्त हुई है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर दोनों पक्ष अपना दावा एवं कब्जा होने के कथन कर रहे है हालांकि ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी कब्जा मानकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे की मिसल में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी की पुश्तैनी दर्शायी गयी है तथापि यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अनुसार आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया था एवं उक्त आपत्ति अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, विशेषकर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। यदि प्रार्थीगण को यह विश्वास था कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कोई अधिकार है तो उनके द्वारा निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत की जानी थी, जो कि उनके द्वारा नहीं की गई। यह भी विचारणीय है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पुश्तैनी आराजी उनके हिस्से में आई हो, साथ ही राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के अन्तर्गत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल ग्राम पंचायत के आदेश की विधिकता, औचित्य एवं प्रक्रिया की जांच करना है, न कि भूमि पर पर स्वामित्व अथवा हिस्सेदारी के अधिकारों की घोषणा करना। अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिए ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, जो वाद में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर कायम की गई तनकीयात एवं उन पर संग्रहित साक्ष्यों के पश्चात तनकीयात विनिश्चय के आधार पर होने वाले निर्णय पर संभव है। अतः जैर निगरानी याचिका की आड़ में प्रश्नगत पट्टे पर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिकारों का सृजन अथवा घोषणा नहीं की जा सकती।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्ध है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे को खारिज करने का अधिकार केवल मात्र न्यायालय हाजा को ही फिर चाहे वो पट्टा पंजीबद्ध ही क्यों न हो। धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की पुष्ठि हेतु दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि जैर निगरानी पट्टा उप पंजीयन अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 25.02.2022 को पंजीबद्ध है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टा,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जो कि पंजीबद्ध हो रखा है तो क्या न्यायालय हाजा द्वारा उस प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है ? वर्तमान में जैर निगरानी पट्टे को पंजीबद्ध करवाया गया है तथा भूमि दस्तावेज का पंजीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के तहत वैध दस्तावेजी प्रमाण माना जाता है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत, यदि भूमि के पट्टे का पंजीकरण किया गया है तो वह दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। पंजीकृत दस्तावेज को विधि द्वारा मान्यता प्राप्त सबूत (conclusive evidence) माना जाता है और इसे अदालत में प्राथमिक प्रमाण (primary evidence) के रूप में स्वीकार किया जाता है। पंजीकृत पट्टे को रद्द या खारिज करने के लिए स्पष्ट, ठोस और मजबूत कारण होना आवश्यक हैं केवल यह दावा कि मेरे कब्जेसुदा भूमि पर पट्टा जारी किया गया, वो भी बिना किसी ठोस साक्ष्य अथवा दस्तावेज के अभाव में, पंजीकृत पंट्टे को स्वतः खारिज नहीं करता। विभिन्न न्यायालयों का यह मानना है कि पंजीकृत दस्तावेज के विरूद्ध दावा करने वाला पक्ष अपनी दलीलें स्पष्ट और प्रमाणित करे, अन्यथा पंजीकृत पट्टे को स्थिर माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के अनुसार, जो पंजीकृत दस्तावेज है, उसे वैध और सच्चा माना जाता है जब तक इसका उलट प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए। इस तथ्य का अर्थ यह है कि पट्टाधारक को साबित करने की जरूरत नहीं कि पट्टा वैध है, बल्कि इसे चुनौती देने वाले को साबित करना होगा कि पट्टा अवैध या अनुचित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने AIR 1973 SC 943 Union of India vs Ibrahim Uddin में स्पष्ट किया कि पंजीकृत दस्तावेज की वैधता को चुनौती देना कठिन होता है और इसे बिना मजबूत कारणों के खारिज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार AIR 1961 SC 1998 Shyam Sunder vs Ram Kumar में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पंजीकृत पट्टे की सुरक्षा और उसके स्थायित्व को महत्व दिया गया है। साथ ही माननीय न्यायालय के अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) RRT 967 Manohar Lal vs District Collector, Barmer & Ors. में यह अभिनार्धिरित किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–विक्रय पत्र का निष्पादन–6 वर्ष तक आवंटन को चुनौती नहीं देने के लिये स्पष्टीकरण नहीं–19.1.1999 को भूमि विक्रय की–निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता–सिविल वाद उचित उपचार था–तथ्य के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त, निर्णीत, स्पेशल अपील खारिज की। पंजीकृत पट्टा एक वैध, प्रभावशाली और कानूनन मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अक्सर ऐसे मामलों में व्यावहारिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो पट्टाधारक के हित में होता है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी था कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा 266.66 वर्गगज का जारी कर दिया जबकि पंचायत नियम 158 के तहत अनुसूचित जाति–जनजाति के व्यक्तियों को केवल 150 वर्गगज तक के पट्टे देने का ही प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के मूल रूप से ग्राम धाकडी की निवासी न होकर ग्राम मण्डिया तहसील पाली की निवासी है और उसके समस्त दस्तावेज भी मण्डिया के बने हुये है। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों के विनयमीतीकरण के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहत जारी किया गया है, जिसमें 300 वर्गगज़ तक के अधिकतम क्षेत्रफल का प्रावधान है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पति नेमाराम मूल रूप से धाकड़ी के ही निवासी है परन्तु जीविकोपार्जन हेतु मण्डली पाली में निवासरत होने की वजह से कुछ दस्तावेजों में उनका पत्ता मण्डली लिखा गया है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 शान्ति देवी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पति नेमाराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र, पेशन आवेदन पत्र आदि में पत्ता रूपनाथ की ढाणी, मण्डिया, पाली वार्ड संख्या 16 अंकित है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में अप्रार्थी संख्या 2 का निवास ग्राम मण्डिया में है। परन्तु इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी प्रकार में आता है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पति नेमाराम के नाम से जारी परिवार कार्ड में अप्रार्थी शान्तिदेवी का नाम दर्ज है, जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत, सरपंच ग्राम पंचायत धाकड़ी तथा सचिव ग्राम पंचायत धाकड़ी के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित है, में पता धाकड़ी अंकित है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड कार्यालय सोजत द्वारा जारी निर्वाचक नामावली वर्ष 1994 की प्रमाणित प्रति में भी चौकीदारों का बास, मकान संख्या 156, ग्राम धाकड़ी में नेमाराम पुत्र उकाराम तथा शान्ति देवी का नाम अंकित पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 तथा उसके पति पूर्व में ग्राम धाकड़ी में निवासरत थे। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019 में हेमीदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 में पश्चिम दिशा की सीमा पर नेमाराम पुत्र उकाराम बावरी का मकान अंकित किया गया है, जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पति का मकान ग्राम धाकड़ी में पूर्व से स्थित था तथा उक्त स्थान पर उनका कब्जा भी रहा। प्रकरण में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के सम्यक् परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके पति नेमाराम पूर्व में ग्राम धाकड़ी में निवासरत थे तथा यह भी सम्भावित प्रतीत होता है कि कालान्तर में आजीविका अर्जन करने एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वे अन्यत्र ग्राम मण्डिया में जाकर निवास करने लगे होंगें, जिसके पश्चात् उनके नवीन दस्तावेजों में उक्त ग्राम का पता अंकित हो गया है। मात्र इस आधार पर कि वर्तमान दस्तावेजों में मण्डिया का पत्ता अंकित है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम धाकड़ी की मूल निवासी नहीं हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब पत्रावली पर उपलब्ध पुराने अभिलेख, निर्वाचक नामावली एवं परिवार कार्ड उनके पूर्व निवास को ग्राम धाकड़ी में स्थापित करते हैं। अब यदि प्रश्नगत पट्टे के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति का परीक्षण किया जावे तो जैर निगरानी पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों के विनयमितीकरण के तहत जारी किया गया है। उक्त नियम के राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में अधिकतम 300 वर्गगज तक भूमि का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है और ग्राम पंचायत ने उसी अनुरूप 266.66 वर्गगज का प्रश्गनत पट्टा जारी किया है जो उक्त नियमों की परिधि में आता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थीगण का उक्त उज्र प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे का ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के अनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि रिकार्ड के संधारण का कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसलिये यदि वर्तमान में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक की कोई गलती है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2021 में जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित है तथा पट्टे की प्रति पर रसीद संख्या का अंकन है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की पुश्त पर प्रस्ताव संख्या, भूमि का क्षेत्रफल एवं चारों दिशाओं के पड़ौस भी अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा एक औपचारिक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तथा पट्टे में वर्णित पड़ौस यह दर्शाता है कि भूमि की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई थी तथा पट्टा किसी अनिश्चित या काल्पनिक भूमि पर जारी नहीं किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया पट्टे की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतन रखना ग्राम पंचायत का वैधानिक दायित्व है, न कि पट्टाधारक का। पट्टाधारक का यह दायित्व नहीं है कि वह पंचायत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। यदि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तो मात्र इसी आधार पर पट्टे को अवैध या नियमविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध, कूटरचित या नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत पट्टा पंचायत नियमों के विपरीत अथवा पंचायत प्रस्ताव के बिना जारी हुआ था, ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड के अभाव को आधार बनाकर पट्टे को निरस्त करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है, वो भी उस स्थिति में जब अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य उज्र प्रमाणित नहीं हुआ हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab vs. Gurdev Singh के अनुसार "An administrative lapse or illegality committed by the authority cannot be a ground to penalise a citizen who has acted bona fide." उपरोक्त समस्त तथ्यों के विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिपूर्वक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अभिलेखों में उक्त पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना मात्र एक प्रशासनिक कमी हो सकती है, जिसका दायित्व पट्टाधाकर पर नहीं डाला जा सकता।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत मिसल की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट आता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन पेश किया, उसमें प्रस्तावित भूमि के पड़ौस अंकित किये हुये है, जो कि पंचायत नियम 145(1) के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अनुरूप है तथा अप्रार्थी द्वारा आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क रूपये 120/– जरिये रसीद संख्या 40 दिनांक 15.08.2021 के द्वारा जमा करवाये गये। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 06.09.2021 के द्वारा प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त किया जाकर सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा एवं मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन कि मनोनीत पंचों के नाम मिसल में अंकित नहीं है, इसलिये पट्टा वैध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत की आदेशिका के अनुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं मौका निरीक्षण पर तीन पंचों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। पंचों के हस्ताक्षर यह प्रमाण है कि भूमि का निरीक्षण और रिपोर्ट वास्तविक रूप से हुई है। आदेशिका में पंचों का नाम अंकित न होना केवल ग्राम पंचायत की तकनीकी त्रुटि है। उक्त आदेशिका अनुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया अर्थात् मौका निरीक्षण निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया। आदेशिका में पंचों के नाम का न होना केवल एक तकनीकी त्रुटि है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि का निरीक्षण वास्तविक रूप से पंचों द्वारा किया गया और दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। केवल आदेशिका में नाम न होना वास्तविक निरीक्षण और कार्रवाई पर असर नहीं डालता और वह पट्टे को रद्द करने का कारण नहीं बन सकती अर्थात् तीन पंचों ने नियम 146(3) में वर्णित ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट की, जो कि प्रकरण में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत है। भूमि पट्टे के सम्बन्ध में निर्णयों में यह सिद्धान्त लागू होते है कि लोकहित और पट्टाधारक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। पट्टाधारक ने ग्राम पंचायत के आदेश पर भरोसा किया और भूमि पर निवेश किया, इस भरोसे को कानून सुरक्षा देता है। इसे 'लेगिटिमेट एक्सपेक्टेशन' भरोसे का सिद्धान्त कहा जाता है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे का पंजीकरण एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो वैधता की पुष्टि करता है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1967 SC 931 कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भूमि से सम्बन्धित सरकारी आदेशों पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है जब तक आदेश को कानूनन निरस्त न किया गया हो। इसी प्रकार AIR 1967 SC 1715 हरियाणा राज्य बनाम करण सिंह में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कि सरकार द्वारा भूमि के पट्टे जारी करने में तकनीकी त्रुटि होने पर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के कारण पट्टाधारक के हित की रक्षा की जानी चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये, जिसमें उन्होनें जैर आराजी पर अप्रार्थी का पुराना पुश्तैनी मकान होना स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसे सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया और आपत्तियां आंमत्रित की गयी परन्तु निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। प्रकरण में केवल तकनीकी त्रुटि के आधार पर पट्टे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Ram singh, 1978 में यह सिद्धान्त प्रतिपाद्धित किया कि जब पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होती है, तो केवल कुछ तकनीकी त्रुटि जैसे पंचों का नाम अंकित न होना, पट्टे की वैधता प्रभावित नहीं करता। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1966 SC 1060 K.C.Jmes vs State of Kerala के अनुसार अगर भूमि सम्बन्धी दस्तावेज सही ढंग से जारी हो गए है, और कोई धोखाधडी या गडबडी नहीं हुई है तो केवल तकनीकी दोष के आधार पर दस्तावेज को रद्द नहीं किया जा सकता। इसी तरह AIR 1979 SC 1532 Raj Kumar Sharma vs Union of India में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भूमि के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्णयों में यदि प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और कोई धोखाधडी सिद्ध न हो, तो निर्णय को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि को सुधार की गुंजाइश मानी गई है, रद्द करने का कारण नहीं। प्रकरण की वस्तुस्थिति पर उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे एवं मिसल की प्रति पर समस्त प्रस्ताव संख्या का अंकन है, जो प्रश्नगत पट्टे को यथावत् रखने का मजबूत आधार प्रदान करता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के दौरान पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना की है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत धाकड़ी द्वारा मिसल संख्या 187/2021–2022, प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11.10.2021 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 शान्तिदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 14.10.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवीय जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली